# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

| अपील संख्या | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 12/07/2017 | 19-01-2017 | 25-09-2019 |

01— विजय सिंह पुत्र लीलाराम

02— राजपाल पुत्र लीलाराम

03— अरूण सिंह पुत्र लीलाराम

04— नकुल पुत्र लीलाराम जाति जाट निवासी ग्राम ईसरोता तहसील कठूमर जिला अलवर राज०

—अपीलाण्टान्

**बनाम**

01— नायब तहसीलदार कठूमर, जिला अलवर

—असल रेस्पौडेन्ट

02— सहदेव पुत्र लीलाराम जाति जाट निवासी ग्राम ईसरोता तहसील कठूमर जिला अलवर राज०

—तरतीबी रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार कठूमर दिनांक 19.12.2016 अन्तर्गत धारा 91 भू० राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 26/2016

**उपस्थितः—**

01—श्री उमाशंकर खण्डेवाल —वकील अपीलाण्ट

**—ःनिर्णयः—**

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार कठूमर के आदेश दिनांक 19.12.2016 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम ईसरोता की सरकारी गै०मु० रास्ता भूमि के आराजी खसरा नम्बर 364/2.29 है० में से 0.02 है० पर अवैध कब्जा करने पर की गई बेदखली व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ० को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम ईसरोता की सरकारी गै०मु० रास्ता भूमि के आराजी खसरा नम्बर 364/2.29 है० में से 0.02 है० पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 09.11.2016 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने बेदखली व लगान से दण्डित किया। अतः अपीलार्थी बेदखली व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 12.01.2017 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलांट्स व रेस्पो० द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, जबकि रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 25.06.2018 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण होना बताया है तथा नायब तहसीलदार कठूमर द्वारा छपे—छपाये साईक्लोस्टाईल प्रोफॉर्मा में आदेश जारी किये गये है तथा कोई दिमाग एप्लाई ना करके केवल रिक्त स्थानों की पूर्ति की गई है। जिससे यह प्रतीत होता है कि आदेश जारी करते समय विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है तथा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट नायब तहसीलदार कठूमर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलार्थी का सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

**निर्णय आज दिनांक 25—09—2019 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)